टार व्यय की पूर्व- अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ ढब्ल्यू. पी.



पजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

(असाधारण) आराल्निय

विस्त, योजनाः वार्थिक और हता ही

प्राविकार से प्रकाशित

गंक 98]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 मार्च 1994-फाल्गुन 16, शके 1915

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक ७ मार्च १९९४

क्र. ३११३-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाक ५ मार्च, १९९४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्ह्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टी. पी. एस. पिस्लई, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमाक ३ सन् १९९४

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४.

विषय-सूची

धाराण्

- १. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.
- परिभाषाए.
- राज्य वित्त आयोग का गठन.
- आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिये अर्हताएं और उनके चयन की रीति.
- व्यक्तिगत हित से सदस्यों का निरहिंत होना.
- आयोग के सदस्य होने के लिए निरहिताए
- सदस्यों की पदावधि और पुनर्नियुक्ति की पात्रता.
 - ं ं ं गी रंजा की सर्ते और वेतन तथा भते.
- आयाग की प्रक्रिया और शक्तिया.
- वे मामले जिन पर आयोग सिफारिशे करेगा.
- कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमाकः सन् १९९४

मध्यप्र श राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४.

[दिनाक ५ मार्च, १९९४ को राज्य त की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ७ मार्च, १९९४ को प्रथम बार प्रकाशित २ गई.]

राज्य विश्व भागोग के स्थरनों अस ने नियुक्ति के लिये अर्थनित महैताओं तथा उनके चयन किए जाने की रीति अथसारित करने और असी सक्तियाँ विहित करने के लिये मिनियम.

भारत गणराज्य के पैता ासने वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल ढारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

सांधप्त नाम **और** प्रारम्भ

- १. (१) इस अधिनित्म का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ है.
 - (२) यह ऐसी ारील को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाए.

- २. इस अधिनियम ें जब तक संदर्भ से अन्यया अपेक्षित न हो,-
 - (क) "आयोग" से अिप्रेत है सविधान के अनुच्छेद २४३-झ के खण्ड (१) के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यप ৰ द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग ;

मे

- (सं) "पंचायत" रं अभिप्रेत हे भारत के सविधान के अनुच्छेद २४३-ख के अधीन गठित कोई पंचायत;
- (ग) "नगरपालिक: से अभिप्रेत है भारत के सविधान के अनुच्छेद २४३-थ के अधीन गठित नगरपालिक:
- (घ) "सदस्य" से भिप्रेत है आयोग का कोई सदस्य और उसमें उसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है.

राज्य बिस आयोग का गठन,

आयोग के सदस्यों हे रूप में नियुक्ति के लिये अर्हताए और तनके चयन राज्य वित्त आयो राज्यपाल द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा.

४. आयोग के अध्यक्ष का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जिल्होंने लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त किया है और अन्य ६ सदस्यों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो-

- ्(क) किसी उच्च ायालय के न्यायाधीण है या रह चुके हैं या निथुक्त किए जाने के लिये अर्हित हैं; या
- (ख) सरकार के कित और लेखाओं का विशेष ज्ञान रखते हैं , या
- (ग) वित्तीय माम**ां और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हैं** : পা
- (ध) अर्थशास्त्र कः विशेष ज्ञान रखते है.

रूप्या का निसंहत्त होनाः ५. किसी व्यक्ति को आयोग का रामा कि रहे रो एर्ट्स राज्य है अपना समाधान करेंगे कि उस व्यक्ति के ऐसे वित्तीय र अन्य हित नहीं होगे ज आयोग के सदस्य के में उसके कृत्यों पर प्रतिकृत प्रभाव डालने में सभाव्य हो, और राज्यपाल आयोग के प्रतिकृत सदस्य के पार्टी ससय-समय पर अपना यह भी समाधान करेंगे कि उस । ऐसा कोई हित नहीं है और कोई भा व्यक्ति हो कि आयोग का सदस्य है

्रम रूप में जिसकी नियुक्ति के लिये राज्यपाल प्रस्थापना करते हैं, जब भी राज्यपाल द्वारा ऐसा अपेक्षित या जाए, जनको ऐसी सूचना देगा जो कि इस द्वारा के अधीन उसके द्वारा उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिये राज्यपाल आवश्यक समझते हैं.

६. कोई व्यक्ति आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने या होने के लिये निरर्हित होगा यदि-

भायोग के सदस्य होने के लिए निरहताए

- (क) वह विकृतिधन का है;
- (स) वह अनुन्मोचित दिवालिया है
- (ग) वह ऐसे अपराध का दोष सिद्ध है जिसमें कि नैतिक अधमता अन्तर्वनित है;
- (घ) उसका ऐसा वित्तीय या अन्य हित है जिससे आयोग के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकृत प्रभाव पढ़ना संभाव्य है.

आयोग का प्रत्येक सदस्य ऐसी अवधि के लिये पद धारण करेगा जो जसे नियुक्त करने वाले राज्यपाल
के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, किन्तु वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

सदस्यों की पदावधि और पुनर्नियुक्ति की पात्रता.

परन्तु वह राज्यपाल को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा.

८. आयोग के सदस्य, आयोग में पूर्णकालिक या अभकालिक सेवा करेंगे जैसा राज्यपाल प्रत्येक दशा में विनिर्दिष्ट करें, और आयोग के सदस्यों को ऐसी फीस या बेतन तथा ऐसे अत्ते संदत्त किए जाएंगे जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित करे.

सदस्यों की सेवा की शर्ते और बेतन तथा भते.

९. (1) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और अपने कृत्यों के अनुपालन में उसे वे समस्त शक्तिया प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन वाद पर विचार करते समय सिविल न्यायालय को निम्नलिखित मामलों के बारे में प्राप्त है, अर्थात् :--

आयोग की प्रक्रिया और शक्तिया

- (क) साक्षियों को समन करना और उनकी उपस्थिति प्रवर्तित कराना ;
- (स) किसी दस्तावेज को पेश कराने की अपेक्षा करना;
- (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना.
- (२) आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसी बातों और मामलों पर जो कि आयोग की राय में आयोग के अधीन विचारार्थ किसी मामले में उपयोगी या जससे सुसंगत हैं; जानकारी देने की अपेक्षा करने की झक्ति ोगी.
- (३) आयोग दण्ड प्रक्रिया संद्विता, १९७३ (१९७४ का सं. २) की धारा ३४५ और ३४६ के प्रयोजनों लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा

स्पष्टीक (ण.—साक्षियों की उपस्थिति प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाए मध्यप्रदेश राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाए होगी.

१०. राज्य वित्त आयोग, संविधान के अनुष्धेद २४३-झ और २४३-म के अधीन उपबंधित किए गए। मिलों पर राज्यप

वे मामसे जिस पर आयोग सिफारशें करेगा 196 (2)

मध्यप्रदेश राष्ट्रात्र, दिनांक 7 मार्च 1994

किवाहयादूर करने ११. यदि इस अधिनियम के प्रविधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य की शक्ति. सरकार, आदेश द्वारा इस अधिनियम ं उपबंधों से असंगत न होने वाली ऐसी कोई भी बात कर सकेगी जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के ए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

Received Ux (Extra

परन्तु इस धारा के अधीन ऐस कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दो वर्ष का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

An Act to

(২) इस अधिनियम के अर्धः किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

Be it

भोपाल, दिनाक ७ मार्च १९९४

ionows. 1.

2.

क्र. ३११४-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के सर्विधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य विद्य आयोग अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ३ सन् १९९४) व अग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टी. पी. एस. पिल्लई, उपसचिव

MAD YA PRADESH ACT No. 3 of 1994.

THE MADHYA PRADESH AJYA VITTA AYOG ADHINIYAM, 1994.

TALLE OF CONTENTS

by the Go

3.

Sections:

- 1. Short title and Commencement.
- 2. Definitions.
- 3. Constitution of State Finance Commission.
- 4. Qualifications for appointment as, and timmanner of selection of members of the Commission.
- 5. Personal interest to disqualify members.
- 6. Disqualifications for being a member of the Commission.
- 7. Terms of office of members and eligibil y for re-appointment.
- 8. Conditions of service and salaries and a owances of members.
- 5. Freedure and powers of the Commission.
- 10. Matters of which Commission to make a commendations.
- 11. Power to remove difficulties.

5. that the pas a men to every Govern Govern perform

6 Commi

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 of 1994.

THE MADHYA PRADESH RAJYA VITTA AYOG ADHINIYAM, 1994.

Received the assent of the Governor on the 5th March, 1994; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 7th March, 1994.]

An Act to determine the qualifications requisite for appointment as members of the State Finance Commission and the manner in which they shall be selected, and to prescribe their powers.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty fifth year of the Republic of Indian as follows:—

- 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994.
 - (2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification, appoint.

Short title and Commencement.

2. In this Act unless the context otherwise, requires,—

æ

भो

Definitions.

- (a) "Commission" means the State Finance Commission constituted by the Governor of Madhya Pradesh in pursuant to clause (1) of Article 243-I of the Constitution;
- (b) "Panchayat" means a Panchayat constituted under Article 243-B of the Constitution of India;
- (c) "Municipality" means a municipality constituted under Article 243-Q of the Constitution of India:
- (d) "Member" means a member of the Commission and includes the Chairman.
- 3. The State Finance Commission shall consist of a Chairman and two other members appointed by the Governor.

Constitution of State Finance Commission.

Qualification for appointment as,

and the manner of selection of mem-

bers of the Com-

- 4 The Chairman of the Commission shall be selected from among persons who have had experience in public affairs, and the other two members shall be selected from among persons who,—
 - (a) are, or have been, or are qualified to be appointed as judges of a High Court; or
 - (b) have special knowledge of the Finances and Accounts of Government; or
 - (c) have had wide experience in financial matters and in administration; or
 - (d) have special knowledge of economics.
- 5. Before appointing a person to be a member of the commission, the Governor shall satisfy himself that the person will have no such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member of the Commission, and the Governor shall also satisfy himself from time to time with respect to every member of the Commission that he has no such interest and any person who is, or whom the Governor proposes to appoint to be, a member of the Commission shall, whenever required by the Governor so to do, furnish to him such information as the Governor considers necessary for the performance by him of his duties under this section.

Personal interest to disqualify mem-

6. A person shall be disqualified for being appointed as or for being a member of the Commission,—

Disqualifications for being a member of the Commission.

- (a) if he is of unsound mind;
- (b) if he is an undischarged insolvent;

ikkolok ologi osalik kasalik **ikkalik** iki atalik ilikalak ilok ilikolok ila ilik

- (c) if he has been convict. I of an offence involving moral turnitude;
- (d) if he has such financia or other interest as is likely to affect prejudicially his function a member of the sommission.

Marie de la principa de la filia de la fil

डाक-व्यय की के बिना डाक के लिए अनुम क्र. भोपाल-5

Terms of office of Members and eligibility for re-appointment.

7. Every member of the Com mission shall hold office for such period as may be specified if order of the Governor appointing him, but shall be eligible for re-appointments:

Provided that he may, by letter addressed to the Governor, resign his office.

Conditions Service and Salarics and Allowances of Members.

8. The member of the Commis Conshall render whole-time or part time service to the Commission as the Governor may in each case specify, and there shall be paid to the member of the Commission is fees or salaries and such allowances a: the State Government may, by rules made in this behalf, determ

Procedure powers of the Commission.

- 9. (1) The Commission shall c termine their procedure and in the performance of their function shall have all the powers of a civil cc rt under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a sul respect of the following matters, namely:-
 - (a) summoning and enforcing the attendance of witnesses;
 - (b) requiring the production of any document;
 - (c) requisitioning any public record from any court or office.

郊. 2: को राज्यपार

- (2) The Commission shall have , ower to require any person to furnish information on such post or matters as in the opinion of the Commission may be useful for, or relevant to, any matter under consideration of the Commission.
- (3) The Commission shall be defined to be a Civil Court for the purposes of Sections 345 and 3 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

Explanation.—For the purpose of enforcing the attendance of witnesses, the local limits of the Commission's jurisdiction shall be the limits of the territory of State of Madhi

Pradesh.

Matters on which Commission to make recommendations.

 The State Finance Commission shall make recommendations to the Governor on matter provided under Article 243-I and 243- of the Constitution.

Power to remove difficulties.

11. (1) If any difficulty arises in ving affect to the provisions of this Act, the State Government may by order, do anything not inconsise ace with the provisions thereof which appears to be necessary or expedient or the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this Section after the expiry of 2 years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this act shall be laid on the table of Legislative Assembly,

दिनाक रिनाक

भारत अधिनियमिष

X CO F

हाद-ध्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा मेजे जाने के लिए अनुमस अनुमति-पत्र क्वा कोयाल-505/ डब्स्यू पी.



पंजी क्रमांक भोपाल डिबीजन 122 (एम. पी.)

याध्याप्रदेशा राजापन

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमाक 515]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 अक्टूबर 1995-आध्रिवन 24, शके 1917

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक १६ अक्टूबर १९९५

का. ११०६४-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाक ११ अक्टूबर, १९९५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदुइारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टी. पी. एस. पिस्सई, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमाक ३३ सन् १९९५.

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, १९९५

िहिनाक ११ अक्टूबर, १९९५ को राज्यपाल की अनुभित प्राप्त हुई : अनुमित "मध्यपदेश राजपान (अयाधारण)" में दिनाक १६ अक्टूबर, १९९५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई }

मध्यप्रदेश राज्य विश्व आयोग विश्विषयम, १९९४ को संशोधित करने हेतू विधिनयम.

ारत गणराज्य के **छियालीक्ष्में वर्ष में मध्यप्रवेश विधान-मण्डल द्वा**रा निम्नालिणित करा न यह आधानियमित हो :--

- ্ (१) इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य बित्त अधिभेध (राणोधन) সভিশিষ্ট আলং তা কর্তন বিভেগ্ন ক্রি
 - (२) यह ऐसी तारीख की प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना हुन्त, नियत करे.

सारत है के देखान **पर** की दाना की स्वा**न्त.** २. मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ (क्रमाक ३ सन् १९९४) (जो इसमे इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट हैं) की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

राज्य ध्या आयोग **या**। मक्तम "३. राज्य वित्त आयोग राज्यपाल द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर वनेगा जिसमें से एक सदस्य-सचिव होगा.".

कार्यक्ष व नेवर्ग प्राप्तः व

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "चार" स्थापित किया जाए.

भोपाल, दिनाक १६ अक्टूबर १९९५

क्षा १२०६५ इनकीस-अ (प्रा.).— भारत के सविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य वित्त अध्योज (এ।।।।।।।। अधिनियम, १९९५ (क्रमांक ३३ सन् १९९५) का अग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्शारा प्रकाशित किथा । ।।।। हो।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिवः

MADHYA PRADESH ACT

No. 33 of 1995.

THE MADHYA PRADESH RAJYA VITTA AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1995.

(Received the assent of the Governor on the 11th October, 1995; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 16th October, 1995.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Superior that their

- 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995.
 - (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Substitution of naw specific for Specificals.

2. For Section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following Section shall be substituted, namely:—

Cousing iter, of State – Pleasure Commonside

- "3. The State Finance Commission shall consist of a Chairman and four other members, appointed by the Governor of whom one shall be member-secretary.".
- Albert benedie of Species 4.
- 3. In Section 4 of the Principal Act, for the word "two" the word "four" shall be substituted.